



पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(U.P.Government Undertaking)

ऊर्जाभवन विक्टोरिया पार्क, मेरठ-250001

संख्या : 1760/प.वि.वि.नि.लि/मेरठ/प्रशा०

दिनांक : 12.03.2024

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित अधिशासी अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-०4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	एसएपी आईडी/नाम / अभि०सं० / गृह जनपद / से०नि० की तिथि	वर्तमान पदनाम एवं तैनाती का कार्यालय	स्थानांतरण के पश्चात नव तैनाती कार्यालय / स्थान
1	2	3	4
1.	11001202/Neeraj Kumar/ N0222/95124/ MEERUT/31.12.2028	EE-E&M/DS Saharanpur Zone/EDD Rampur Mani/EDD Rampur Maniharn	EE-E&M/DS Saharanpur Zone/EDC II Saharanp/EDC II SAHARANPUR
		अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामपुर मनिहारान।	अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल- द्वितीय, सहारनपुर। श्री नीरज कुमार (अभि० सं०: 95124) अपने नव तैनाती कार्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से अग्रिम आदेशों तक अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, सहारनपुर के कार्यों का भी सम्पादन करेंगे जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय एवं भत्ते आदि अनुमन्य नहीं होंगे।

2. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3. उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

6. नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

प्रबंध निदेशक

दिनांक : 12.03.2024

संख्या : 1760/प.वि.वि.नि.लि/मेरठ/प्रशा०

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पाँवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पाँवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पाँवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का० एवं प्रब०)/(तकनीकी)/(वित्त)/(वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)/(नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, सहारनपुर।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
12. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामपुर मनिहारन।
13. उपसचिव अ०प्र०-(2ब)/गोपन अनुभाग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
15. संबंधित अधिकारी।
16. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
17. व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से
जमील अहमद खान
अधीक्षण अभियन्ता (एच०आर०)

"Joining / Relieving must be done on ERP system only."